न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 30/2019 अपील (GCMS 2019/00039)
पंजीयन दिनांक– 09.07.2019
निर्णय दिनांक– 19.07.2022

श्री सोहनलाल भट्ट पिता लालुराम भट्ट जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लालमादडी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद मृतक के बजायः–

1. श्री अजय देराश्री पिता शिवलाल देराश्री जाति बडा नागदा, निवासी लालमादडी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।

–अपीलांट

बनाम

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमंद।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–
1. श्री भुरालाल डांगी – अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, राजसमंद के
प्रकरण संख्या 12/2018 निर्णय दिनांक 28.08.2018

निर्णय

दिनांक 19.07.2022

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, राजसमंद के प्रकरण संख्या 12/2018 निर्णय दिनांक 28.08.2018 के विरूद्ध दिनांक

08.07.2019 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ इस न्यायालय में पेश की गई है।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने नामांतरण संख्या 406 स्वीकृत दिनांक 16.07.1987 पारित द्वारा तहसीलदार, नाथद्वारा के विरूद्ध अपील अंतर्गत 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम लालमादडी, पटवार हल्का लालमादडी, तहसील नाथद्वारा में स्थित आराजी नम्बर 714 व 716 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि के संबंध में न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की पालना में खोला गया नामांतरण त्रुटिपूर्ण है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 12/2018 निर्णय दिनांक 28.08.2018 से अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाकर खारिज किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.08.2018 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामंतरण संख्या 407 दिनांक 16.07.1987 के अवलोकन से यह नामांतरण राजस्व ग्राम लालमादडी में स्थित कृषि भूमि के संबंध में स्वीकृत किया गया हैं। जिसके विरूद्ध यह अपील अपीलार्थी द्वारा 31 वर्ष बाद इस न्यायालय में पेश की है जिसमें आधार पटवारी से जमाबंदी की नकल एवं राजस्व रेकार्ड प्राप्त करना बताया जबकि पटवारी से प्राप्त जमाबंदी की वर्तमान नकल इस न्यायालय में पेश ही नहीं की गई है। 31 वर्ष की देरी का कोई पर्याप्त एवं उचित कारण भी अपीलार्थी द्वारा नही बताया है। उक्त देरी को माफ किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश किया जाना पाया जाता है इसलिए उक्त अपील देरी के आधार पर ही खारिज किया जाना न्यायोचित समझते है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।"*

- उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भुरालाल डांगी उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 04.07.2022 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि राजस्व ग्राम लालमादडी में स्थित भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर, नाथद्वारा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना में खोला गया नामांतरण त्रुटिपूर्ण है आराजी नम्बर 714 रकबा 12 बिस्वा भूमि का नामंतरण त्रुटि से 7 बिस्वा का रकबा ही दर्ज कर दिया है। उक्त नामांतरण गलत रूप से स्वीकृत किया गया है, जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा दिनांक 28.08.2018 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि दफा 5 जाप्ता मयाद के आवेदन में अपीलाण्ट द्वारा यह वर्णित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.08.2018 को पारित होना बताया गया है, जिसकी अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.05.2019 को हुई तथा उसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 24.05.2019 को प्राप्त

हुई एवं अपीलांट 95 वर्ष का होकर काफि वृद्ध व्यक्ति होकर अकसर बीमार रहता हैं तथा चलने फिरने की स्थिति में नहीं है तथा समय पर अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका जिससे उक्त आदेश पारित होने की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी तथा अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई जो देरी का पर्याप्त कारण है तथा मामला जायदाद का है, ऐसी स्थिति में निर्णय अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील अस्वीकार एवं खारिज करने का आदेश दिनांक 28.08.2018 को पारित किया गया।

- उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन् विचार किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर हम यह पाते है कि प्रश्नगत अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम की कलम संख्या 2 में स्वयं यह वर्णित करता है किः–

- **''अपीलार्थी 95 वर्ष का होकर काफी वृद्ध व्यक्ति होकर अकसर बीमार रहता हैं तथाा चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहता है तथा समय पर अपने अधिवक्ता से संपर्क नही कर सका जिससे उक्त आदेश पारित होने की जानकारी नहीं हो सकी ''**

- उक्त प्लीडिंग से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार दिनांक 08.06.2020 को अपीलांट की मृत्यु के पश्चात दिनांक 27.07.2020 को अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 जाप्ता दीवानी के आवेदन के साथ दिनांक 16.01.2013 को पंजीकृत वसीयतनामा श्री अजय देराश्री पिता शिवलाल देराश्री जाति बडानागदा, निवासी लालमादडी, तहसील नाथद्वारा नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता शिवलाल देराश्री आयु 41 वर्ष के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जो अपील में अपीलांट की मृत्यु के पश्चात पंजीकृत

वसीयतनामा अनुसार वर्तमान अपीलांट होकर रेकार्ड पर है तथा बालिग है।

- विवादित नामांतरण संख्या 406 दिनांक 16.07.1987 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील पर निर्णय दिनांक 28.08.2018 की जानकारी उसे सर्वप्रथम दिनांक 15.05.2019 को उसके दफा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन अनुसार किस प्रकार होगी जबकि बकौल उसके द्वारा दिनांक 16.01.2013 को पंजीकृत वसीयतनामा श्री अजय देराश्री पिता शिवलाल देराश्री जाति बडानागदा, निवासी लालमादडी, तहसील नाथद्वारा नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता शिवलाल देराश्री आयु 41 वर्ष के पक्ष में निष्पादित किया गया है। श्री अजय देराश्री पिता शिवलाल देराश्री राजस्व ग्राम लालमादडी, पटवार हल्का लालमादडी, तहसील नाथद्वारा में स्थित आराजी नम्बर 714 व 716 के विवादित नामांतरकरण 406 के वसीयतनामा अनुसार वर्तमान अपीलांट है। उक्त प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2018 की जानकारी उसे वर्ष 2018 से स्पष्ट रूप से है। नामांतरण संख्या 406 दिनांक 16.07.1987 राजस्व ग्राम लालमादडी, पटवार हल्का लालमादडी, तहसील नाथद्वारा में स्थित कृषि भूमि के संबंध में स्वीकृत किया गया था। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में 31 वर्ष पश्चात अपील पेश कर यह आधार बताया कि पटवारी से जमाबंदी की नकल एवं राजस्व रेकार्ड प्राप्त कराना अवगत कराया, जबकि पटवारी से प्राप्त जमाबंदी की वर्तमान नकल अधीनस्थ न्यायालय में पेश नही की गई है। 31 वर्ष की देरी का कोई पर्याप्त एवं उचित कारण भी अपीलांट द्वारा नही बताया गया है।

- अपीलांट द्वारा दफा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन में त्रुटिपूर्ण भ्रामक एवं अस्वच्छ हाथों से वर्णन किया है कि उसे सर्वप्रथम 15.05.2019 को जानकारी हुई। अपीलाण्ट जब स्वच्छ हाथों से नहीं आया है तथा बकौल उसे वर्ष 2018 से उक्त अधीनस्थ

न्यायालय के आदेश की उसे जानकारी होना स्वाभाविक है। वर्ष 2018 से जब उसे आदेश की जानकारी है तो उसके द्वारा दिनांक 08.07.2019 को अपील प्रस्तुत किया जाना निःसंदेह लगभग 01 वर्ष करीब का विलम्ब है जिसके लिए उसके द्वारा कोई संतोषप्रद आधार नहीं दिये

- अधीनस्थ न्यायालय में भी दिनांक 16.07.1987 को स्वीकृत नामंतरण की अपील प्रस्तुत किया जाना निःसंदेह 31 वर्ष करीब का विलम्ब है जिसके लिए भी अपीलांट द्वारा कोई संतोषप्रद आधार नहीं दिये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने से यह न्यायालय कोई त्रुटि नही पाता है।

- उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार प्रकरण में विलम्ब का कोई औचित्यपूर्ण कारण इस न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय में दर्शित नहीं होने से अपील अपीलाण्ट बैरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर